संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2556654 Fax 0755-2556654
Email:- rkkartikey@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र. /26/15/2020/एक/ 11206 भोपाल, दिनांक 31/07/2020

प्रति,

1 आयुक्त/प्रशासक
नगरपालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

2 संयुक्त संचालक (समस्त)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश।

3 परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
मध्यप्रदेश।

4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त)
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषयः— शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. 898/2020/नियम/चार दिनांक 29.07.2020 एवं क्र. 903/2020/नियम/चार दिनांक 30.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किए जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(मीनाक्षी सिंह)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. /26/15/2020/एक/ 11207 भोपाल, दिनांक 31/07/2020

प्रतिलिपिः—

1 प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2 प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र.।

3 श्री अंशुम सिंह, वेब कंटेन्ट, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 29 .07.2020

कमांक ४७४/ 2020/नियम/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष , राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय :- शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान ।

----००----

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के तहत भारत सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी को सर्वव्यापी आपदा की श्रेणी मानते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.03.2020 तथा पश्चातवर्ती आदेशों व्दारा इस महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

2/ कोविड–19 महामारी के परिणामस्वरूप प्रदेश की स्वयं के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

3/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 24 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है:–

1. दिनांक 01 जुलाई, 2020 एवं 01 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दी जा जायेगी। स्थितियॉ सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध मे पृथक से आदेश जारी किये जायेगें।
2. ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिवृत्त/मृत्यु अथवा कमोन्नति/ समयमान/पदोन्नति उपर्युक्त अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि की अवधि में होती है, उनके स्वत्वों के संबंध में काल्पनिक वेतनवृद्धि को मान्य किया जाकर नियमानुसार निर्धारण/ निराकरण किया जाएगा।

4/ मध्यप्रदेश मुल भूत नियम 24 के संशोधन तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2020 की प्रति संलग्न है।

5/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त उपकम/निगम/मंडल/स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/आयोग/संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठाकन कमांक ४११/ 2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 29.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश , विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सचिव, मुख्यमंत्री , मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश शासन
7. निज सचिव, /निज सहायक मंत्री/ राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/ इन्दौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण , बी–1 गोमतिका परिसर, भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्यप्रदेश
17. आयुक्त , जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्यप्रदेश
19. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
21. मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
24. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

29/07/2020

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

भोपाल दिनांक 30 .07.2020

क्रमांक 903 / 2020 / नियम / चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष , राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागध्यक्ष
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय :– शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान ।
संदर्भ :– वित्त विभाग का आदेश क्रमांक 898 / 2020 / नियम / चार दिनांक 29.07.2020

-----00-----

/ / आंशिक संशोधन आदेश / /

संदर्भित आदेश के पैरा–5 को निम्नानुसार पढा जायें :–

5/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त उपक्रम / निगम / मंडल / स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय संस्थाओं आदि के कर्मचारियों तथा स्थायी कर्मी, एवं संविदा पर नियोजित सेवायुक्त जिन्हें वेतन वृद्धि दी जाती है, के संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

शेष यथावत रहेगा ।

30/7/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठाकन क्रमांक 904 / 2020 / नियम / चार भोपाल ,दिनांक 30.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश , विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सचिव, मुख्यमंत्री , मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश शासन
7. निज सचिव, /निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल

10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/ इन्दौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण , बी–1 गोमतिका परिसर, भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्यप्रदेश
17. आयुक्त , जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्यप्रदेश
19. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
21. मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
24. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

30/07/2020

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग